महत्वपूर्ण एवं खास

कलेक्टर ने ग्राम दानसरा के आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम दानसरा के आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी सहायिका से रजिस्टर रिकार्ड चेक की और बच्चों की उपस्थिति, रखरखाव आदि के बारे में पूछताछ की। कलेक्टर ने शासकीय प्राथमिक कन्या शाला दानसरा के प्रधानपाठक से बच्चों की पढ़ाई और मध्यान्ह भोजन के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर के प्रश्नों-स्कूल आना कैसा लगता, रोज स्कूल आते हो, कौन-कौन किस-किस क्लास में हो आदि का स्कूली बच्चों ने खुशी-खुशी जवाब दिया। इस अवसर पर एसडीएम सारंगढ़ मोनिका वर्मा उपस्थित थीं।

कलेक्टर ने जिला अस्पताल में ओपीडी का शुभारंभ किया

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज जिला अस्पताल सारंगढ़ में ओपीडी का शुभारंभ किया। कलेक्टर ने वहां उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मुलाकात की। कलेक्टर ने ओपीडी कक्ष का अवलोकन किया और सीएमएचओ डॉ. एफ.आर. निराला से वहां उपस्थित डॉक्टरों, नर्स और अन्य स्टाफ की जानकारी ली। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने वहां इलाज के लिए आए बच्चे को चॉकलेट दी और उनकी मां से बच्चे के बारे में पूछी। इस अवसर पर एसडीएम सारंगढ़ मोनिका वर्मा उपस्थित थीं। सारंगढ़ जिला अस्पताल में ओपीडी का नया कक्ष निर्मित होने से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में छ.ग. सामाजिक आर्थिक सर्वे के लिए समन्वयक एवं सहायक नियुक्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। संयुक्त कलेक्टर भागवत जायसवाल को समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है, उनका मो.नं. 99819-95555 है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार एवं प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख कोमल साहू मो.नं.88171-31042 और जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी एस.सी. सिंह मो.नं.98265-00179 को सहायक की जिम्मेदारी दी गई है।

नक्सलियों ने घोटिया चौक के पास यात्री बस को किया आग के हवाले

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत बारसूर-पल्ली मार्ग पर घोटिया चौक के पास दंतेवाड़ा-नारायणपुर के बीच चलने वाली यात्री बस को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है, बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। बारसूर-पल्ली मार्ग में स्थित मालेवाही और बोदली कैंप के बीच स्थित घोटिया चौक में नक्सलियों ने बस में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। नक्सली वारदात की सूचना मिलते ही जवान मौके पर पंहुचकर नक्सलियों द्वारा लगाये गये बैनर को अपने कब्जे में लेकर इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार शनिवार की सुबह बस नारायणपुर से दंतेवाड़ा की तरफ आ रही थी, बस में करीब 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। दंतेवाड़ा - नारायणपुर के बीच बारसूर-पल्ली मार्ग पर घोटिया चौक के पास करीब 25 से 30 नक्सली वारदात को अंजाम देने के लिए बस के इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही बस पहुंची तो नक्सलियों ने बस को रुकवाकर सारे यात्रियों को नीचे उताराकर डीजल टैंक फोडक़र बस को आग के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद इलाके में बड़ी संख्या में बैनर-पोस्टर भी चस्पा किए, साथ ही चालक को भी धमकी दी है कि इस मार्ग पर बस नही चलाए।

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 58 उद्योग 11 सौ से अधिक पदों पर करेंगे भर्ती : 4 अप्रैल को तमनार में लगेगा महा रोजगार मेला

- तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर होगी भर्ती
- कलेक्टर सिन्हा की पहल से आयोजित हो रहा वृहत रोजगार मेला
- अब तक 1419 युवाओं ने करवाया पंजीयन
- 'रायगढ़ रोजगार मितान' पोर्टल से मिलेगी वेकेंसी की जानकारी, पोर्टल से कर सकेंगे पंजीयन भी
- मेला स्थल पर भी फॉर्म भरकर करवा सकते हैं पंजीयन
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 9399983879 और क्यूआर कोड से भी होगा रजिस्ट्रेशन
- विकासखंड मुख्यालयों के यूथ सेंटर्स में करवाया जा सकता है पंजीयन

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की महत्वपूर्ण पहल पर तमनार में 4 अप्रैल को महा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। मेले में करीब 58 उद्योगों और नियोक्ताओं द्वारा लगभग 1180 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों श्रेणी के पद शामिल हैं।

यह पहला मौका होगा जब जिला मुख्यालय से बाहर विकासखंड स्तर पर इतना विशाल रोजगार मेला लगने जा रहा है। कलेक्टर सिन्हा ने अपनी पदस्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैय्या कराने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने रोजगार अधिकारी को इसके लिए विशेष रूप से निर्देशित करते हुए रोजगार मेले की पूरी रूपरेखा तैयार करवाई। ताकि औद्योगिक क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार का मौके प्राप्त हो सके। 4 अप्रैल को तमनार के शा.हाई स्कूल मैदान में लगने वाले इस वृहद रोजगार मेले में उद्योगों द्वारा स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता एवं उद्योगों की मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वृहद रोजगार मेला में तकरीबन 1180 तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर भर्ती की जायेगी। कलेक्टर सिन्हा ने जिले के युवाओं को अधिक से अधिक इस मौके का लाभ उठाने की अपील की है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन

युवाओं को रोजगार मेले से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने जिला प्रशासन द्वारा 'रायगढ़ रोजगार मितान' http://www.raigarhrozgarmitan.in वेबपोर्टल बनाया गया है। जिसमें युवा विभिन्न उद्योग, कंपनियों और उनकी रिक्तियों की जानकारी देख सकते हैं एवं पोर्टल में अपना पंजीयन कराकर रोजगार मेले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 9399983879 जारी किया गया है। जिसमें कॉल कर के मेले के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। जिसे स्कैन कर सीधे अपना पंजीयन करवाया जा सकेगा।

मेला स्थल पर भी करवा सकेंगे पंजीयन- ऐसे युवा जिनके पास ऑनलाइन माध्यमों से पंजीयन करवाने की सुविधा नही है। वे सीधे मेला स्थल पर फॉर्म भरकर पंजीयन करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक मुख्यालयों में संचालित मुख्यमंत्री यूथ सेंटर में जाकर मेले के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

रोजगार मेला में स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की भी होगी भर्ती- रोजगार मेला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से फीडिंग डिमांस्ट्रेटर, आप्टीमेट्रिस्ट, डेन्टल असिस्टेंट व सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के एक-एक पदों पर भर्ती की जाएगी।

इस संबंध में योग्यता संबंधी अधिक जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अवलोकन कर सकते है।

क्रेडिट कार्ड और ओटीपी बताकर असिस्टेंट प्रोफेसर गंवाया 3.54 लाख रूपए

- थाना कोतरा रोड में ऑनलाइन फ्रॉड पर एफआईआर

रायगढ़। अंजान व्यक्ति को मोबाइल पर बैंक अथवा निजी जानकारी शेयर करना कई बार आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। कल थाना कोतरारोड़ में शासकीय महाविद्यालय चपले के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा आवेदन देकर उनके साथ 3,54,000/- रूपये की ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीड़ित ने अंजान व्यक्ति को मोबाइल पर मोबाइल पर आया OTP शेयर कर बैठा जिससे उसके खाते से 3.54 लाख रूपये अज्ञात आरोपी आहरण कर लिया।

पीड़ित के अनुसार दिनांक 02.03.2023 को उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर 969364XXXX व 892618XXXX से फोन आया जिसने अपने आपको पुणे (महाराष्ट्र) मेन ब्रांच का मैनेजर बताकर बोला कि "आप अपना क्रेडिट कार्ड क्यों चला रहे हो बेवजह पैसा कट रहा है। उसको ब्लाक करा लो।" इतना कहकर उसने नाम, पता, आधार कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड, पेन कार्ड का नंबर पूछा और क्रेडिट कार्ड बंद कराने का झांसा देकर मोबाइल पर आया हुआ OTP पूछा जिसे बताने के बाद जानकारी मिला कि अज्ञात व्यक्ति ऑनलाइन पीड़ित के नाम से युनियन बैंक शाखा से 3,54,000/- रूपये का लोन दर्शाकर रूपये कैश निकाल लिया गया है। पीड़ित के आवेदन पर थाना कोतरारोड़ में अज्ञात व्यक्ति मोबाइल नंबर 969364XXXX व 892618XXXX के धारक के विरूद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इलेक्ट्रिक गोदाम से वायर की चोरी, 30 किलो एल्युमिनियम वायर के साथ 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

- पुसौर पुलिस ने नकबजनी के अपराध में आरोपी को भेजी रिमांड पर

रायगढ़। थाना पुसौर में पवन चौधरी (31 साल) निवासी कोड़ातराई द्वारा बीते रात उसके FCI गोदाम तेतला के पास स्थित इलेक्ट्रिक गोदाम से करीब 30 किलो एलुमिनियम वायर की चोरी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पुसौर पुलिस मामले में अज्ञात आरोपी पर नकबजनी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्टकर्ता द्वारा उसके यहां पूर्व में काम करने वाले चौकीदार शुभम कुमार पर चोरी का संदेह व्यक्त किया था।

मामले में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम द्वारा संदेही शुभम कुमार की पतासाजी के साथ ग्राम तेतला, लोहरसिंह और आसपास गांव के बीट पुलिस कर्मचारियों को उनके क्षेत्र में माल मुल्जिम की पतासाजी का निर्देश दिया गया। शीघ्र ही पुसौर पुलिस के हाथ संदेही शुभम आया जिसे गोदाम से वायर चोरी करने के संबंध में कड़ी पूछताछ करने पर स्थानीय दो लड़कों के साथ गोदाम से वायर चोरी कर गोदाम के पास ही झाड़ियों में वायर को छिपा कर रखना बताया। आरोपी शुभम कुमार कन्नौजिया पिता दुखीराम कन्नौजिया उम्र 21 साल निवासी नुरापुर थाना कोठी जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के मेमोरंडम पर चोरी गया 30 किलोग्राम एलुमिनियम वायर कीमत करीब रु.40000 बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपी से मिली जानकारी पर अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम दबिश दिया गया जो फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी शुभम को आज नकबजनी के अपराध में ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर प्रकरण में माल मुल्जिम पतासाजी में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम, प्रधान आरक्षक शंभु पाण्डेय, आरक्षक प्रकाश गिरी, किर्तन यादव की अहम भूमिका रही है।

जिले के 549 पंचायतों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू

- एप में एंट्री करवा कलेक्टर सिन्हा ने सर्वे की करवाई शुरूआत
- सर्वे के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर उसे पूर्ण करते चलें-कलेक्टर सिन्हा
- कलेक्टर सिन्हा ने रायगढ़, खरसिया और पुसौर ब्लॉक में सर्वेक्षण का लिया जायजा
- 30 दिनों में 944 दल जिले में पूरा करेंगे सर्वे

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रैल से पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हो गया। जो 30 अप्रैल तक चलेगा। रायगढ़ जिले के 549 पंचायतों में भी सर्वे की शुरुआत कर दी गई। सर्वे में प्रगणक घर-घर संपर्क कर जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा सर्वेक्षण कार्य का जायजा लेने निकले। उन्होंने रायगढ़, पुसौर और खरसिया ब्लॉक में चल रहे सर्वे का काम देखा। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी साथ रहे।

कलेक्टर सिन्हा पुसौर विकासखंड के ग्राम गढ़उमरिया, रायगढ़ के टारपाली और खरसिया के टेमटेमा में चल रहे सर्वे का निरीक्षण किया। कलेक्टर सिन्हा हितग्राहियों के घर पहुंचे और प्रगणकों से सर्वे वाले एप में एंट्री करवा कर सर्वे प्रारंभ करवाया। उन्होंने फॉर्म में भरी जाने वाली जरूरी जानकारी और दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। कलेक्टर सिन्हा ने सभी सर्वे दलों से कहा कि आपको मिले गांवों के कुल घर के हिसाब से प्रतिदिन सर्वे का लक्ष्य तय कर उसे पूर्ण करते चलें। जिससे काम व्यवस्थित तरीके से हो। उन्होंने सभी सुपरवाइजर्स को लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। जिससे यदि कहीं कोई परेशानी हो तो उससे तत्काल दूर किया जा सके।

गौरतलब है कि आज से शुरू हुए सर्वेक्षण में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार की इकाई राशन कार्ड को तथा सर्वेक्षण हेतु बेसिक डाटा खाद्य विभाग द्वारा बनाए गये राशन कार्ड की जानकारी से प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे परिवार, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनकी सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से ली जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थिति में उक्त परिवार सर्वेक्षण में छूटें नहीं। ग्राम पंचायत स्तर में सर्वे करने प्रगणक दल का गठन किया गया है, जिसमें 01 महिला सदस्य एवं 01 पुरुष सदस्य शामिल हैं। कार्य के सुचारू संचालन के लिए जनपद स्तर पर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सर्वे के दौरान सर्वेक्षित परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र किया जाएगा। ताकि किसी योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान हेतु पृथक से दस्तावेजों की मांग करने की आवश्यकता न हो।

30 दिनों में 944 प्रगणक दल पूरा करेंगे सर्वे- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। रायगढ़ जिले के सभी 7 विकासखंडों के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर की टीमें नियुक्त की गयी है। रायगढ़ जिले के 549 ग्राम पंचायतों के लिए 944 प्रगणक दल का गठन किया गया है। कार्य की मॉनिटरिंग के लिए 124 सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं।

कलेक्टर ने छ.ग. सामाजिक आर्थिक सर्वे 2023 के कार्यों का किया अवलोकन

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज से शुभारंभ हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्यों का सारंगढ़ और बरमकेला विकासखंड के ग्रामों में अवलोकन किया। कलेक्टर ने बरमकेला विकासखंड के ग्राम पंचायत बुदेली और खिचरी में चल रहे सर्वे कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने परिवार की मुखिया बुजुर्ग माता को सर्वे कार्य में आए कर्मचारियों को सर्वे की जानकारी देने के लिए उत्साहित किया। कलेक्टर ने सर्वे टीम में जुड़े कर्मचारियों को सर्वे एप्प के संचालन और आफलाइन जानकारी भरने के कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर ने सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम अमेठी और दानसरा में सर्वे टीम के कार्यों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने ग्राम अमेठी की महिलाओं से सर्वे देने के संबंध में की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि हमने अपने घर, आवास, राशन आदि की जानकारी सर्वे टीम को दी है। कलेक्टर ने ग्राम दानसरा में सर्वे टीम में शामिल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी सरपंच,पंच आदि से सर्वे से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर एसडीएम सारंगढ़ मोनिका वर्मा, सीईओ जनपद बरमकेला नीलाराम पटेल, सीईओ जनपद सारंगढ़ अभिषेक बनर्जी उपस्थित थे।

शराबियों के कॉलोनी में उत्पात मचाने की सूचना पर चक्रधरनगर पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही

- कॉलोनी से पकड़कर लाए गए नशे में धुत्त दो शराबी, आरोपियों पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही

रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में मां विहार कॉलोनी विजयपुर में दो व्यक्तियों के शराब पीकर कॉलोनीवासियों से गाली गलौज कर उपद्रव मचाने की सूचना दिया गया। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर ने थाने से नाइट ड्यूटी अफसर एएसआई डी.पी. भारद्वाज के हमराह पेट्रोलिंग पार्टी के आरक्षक सुशील यादव और चुड़ामणी गुप्ता के साथ विजयपुर कॉलोनी रवाना किये। जहां पुलिस पेट्रोलिंग मौके पर शराब के नशे में धुत्त दो व्यक्तियों को कॉलोनी के लोगों से गाली गलौज करते देखे जिन्हें कुछ लोग समझाने का प्रयास भी कर रहे थे पर वे दोनों लोगों से लड़ झगड़ रहे थे। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिन्होंने अपना नाम 1. चंदन गुप्ता पिता स्व0 रामदेव गुप्ता उम्र 28 वर्ष सा0 विजयपुर मां विहार कालोनी, 2. रवि चौहान पिता पंचू चौहान उम्र 40 वर्ष सा0 विजयपुर मां विहार कालोनी थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ का होना बताये। थाना चक्रधरनगर में दोनों आरोपियों पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)2 के तहत कार्यवाही किया गया है। विदित है कि आबकारी एक्ट धारा 36(च)2 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में दोषी सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को रु.10,000 से रु.25,000 तक जुर्माना के साथ 6 माह के लिए सजा हो सकती है। चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से कॉलोनीवासियों ने प्रसन्नता जाहिर कर पुलिस पेट्रोलिंग को धन्यवाद दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने सभी थाना, चौकी प्रभारियों को सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही ऐसे आदतन शराबी, झगडेलू प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी करने के निर्देश हैं, जिनका पालन थाना, चौकी प्रभारीगण द्वारा किया जा रहा है।

केसीसी निर्माण को मिली रफ्तार... 15 दिनों में 1498 किसानों के कार्ड बने, 7.84 करोड़ ऋण भी स्वीकृत, उद्यानिकी और मत्स्य पालन के लिए बिना ब्याज के मिला लोन

- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर लगाए गए सभी विकासखंडों में शिविर
- न्यूनतम ब्याज दरों पर पशुपालन हेतु दिए गए ऋण
- किसानों को बड़ी राहत, बीज या खाद खरीदने में अब नहीं होगी परेशानी

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश में जिले के सभी जनपद पंचायतों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्राप्त 1498 प्रकरणों को स्वीकृत कर ऋण जारी किया गया। इसके तहत पशुपालन विभाग के 910 प्रकरण निराकृत हुए। इसी तरह मत्स्य पालन विभाग के 225 तथा उद्यानिकी विभाग के 264 प्रकरणों को निराकृत किया गया। निराकृत सभी प्रकरणों में छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा कुल 7 करोड़ 84 लाख 66 हजार रुपये की ऋण स्वीकृति भी जारी कर दी गयी है।

गौरतलब है कि कलेक्टर सिन्हा ने जिले में केसीसी निर्माण की समीक्षा की थी। कम संख्या में केसीसी प्रकरणों की स्वीकृति और निर्माण की धीमी गति को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई थी और शिविर लगाकर किसानों के केसीसी बनाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए थे। उनके निर्देशानुसार के अनुरूप केसीसी बनाने शिविर आयोजित किए गए। यह शिविर 13 मार्च से 31 मार्च तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संबंधित ब्लॉक के जनपद पंचायत कार्यालय में प्रात:11 बजे से किया गया। शिविर के जरिये किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए लगातार आवेदन लिए गए।

ज्ञात हो कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए राज्य शासन की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सहकारी बैंक से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसान कम ब्याज दरों में कृषि व संबंधित कार्यों के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं। जिससे उन्हें अपने खेती-किसानी के कामों के लिए कार्यशील पूंजी मिल जाती है। केसीसी से किसानों को कृषि कार्यों के लिए ब्याजमुक्त अल्पकालीन ऋण मिलता है। पशुपालन, मछली पालन और उद्यानिकी कार्यों के लिए भी अल्पकालीन ऋण दिया है। पशुपालन हेतु 2.00 लाख तक का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर एवं रूपये 2 लाख से अधिक एवं रूपये 3 लाख तक के ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। मत्स्य पालन व उद्यानिकी कार्यों हेतु 3 लाख तक दिये जाने वाला ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण के समान ब्याज मुक्त (0 प्रतिशत ब्याज दर) होता है।

ब्याजमुक्त ऋण पाकर किसानों के चेहरे खिले- जिले के जनपद पंचायतों में आयोजित केसीसी शिविर में केसीसी बनवाने आये किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि हम जैसे किसानों के लिए गाय एवं मछली पालन, सब्जी उत्पादन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। कभी-कभी पैसे के अभाव में फसल, बीज या खाद खरीदने में कठिनाई हो जाती है। शासन द्वारा केसीसी ऋण योजना का लाभ मिलता है तो वे प्राप्त राशि से वह बीज या खाद खरीद सकेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480